'मूल संरचना' का सद्धिांत

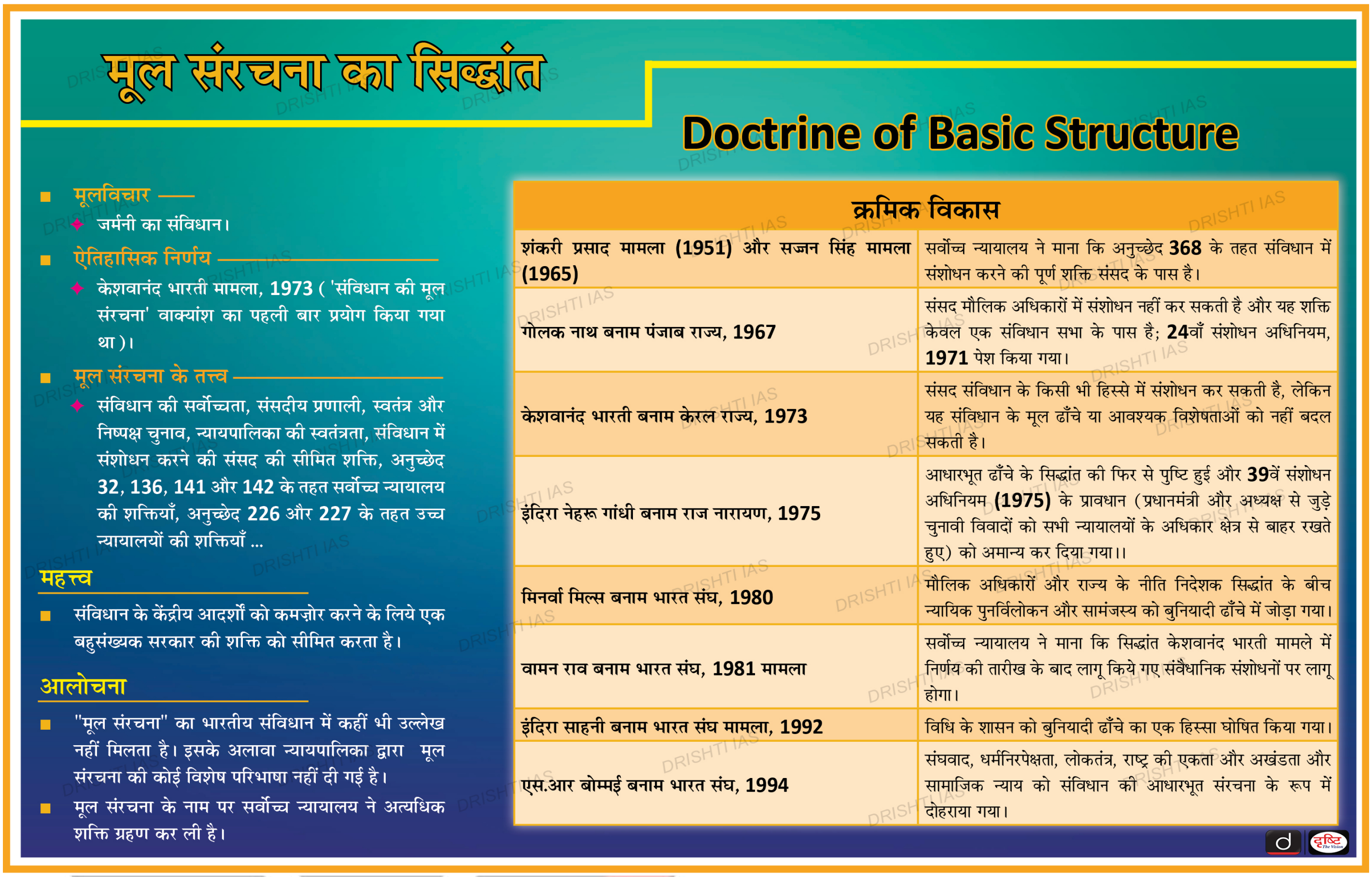

क्रमिक विकास	
शंकरी प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के प्रावधान (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हुए) को अमान्य कर दिया गया।।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन और सामंजस्य को बुनियादी ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शासन को बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में दोहराया गया।

//

और पढ़ें...

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/doctrine-of-basic-structure